अनुसूची
(धारा 26 देखिए)
विश्वविद्यालय की संविधियाँ

कुलाधिपति

1.(1) कुलाधिपति का चयन कुलाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जो कार्यकारी परिषद द्वारा सिफारिश किए गए देश के श्रेष्ठ शिक्षाविदों अथवा समाजसेवी तीन व्यक्तियों के पैनल में से एक के रूप में होगा।

परंतु यदि सिफारिश किए गए तीन व्यक्तियों की सूची में से किसी एक व्यक्ति को भी कुलाध्यक्ष स्वीकृत नहीं करते तो कार्यकारी परिषद को नई सिफारिश भेजनी होगी।

(2) कुलाधिपति की कार्य अवधि तीन वर्ष के लिए होगी तथा बाद में पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

बशर्ते कि उनके कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, कुलाधिपति उस समय तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कि दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति न की जाए।

कुलपति

2.(1) कुलाध्यक्ष द्वारा कुलपति का चयन, इस उद्देश्य के लिए नियम (2) के अंतर्गत गठित की गई समिति द्वारा प्रस्तुत तीन व्यक्तियों में से एक के रूप में किया जाएगा :

यदि सिफारिश किए गए तीन व्यक्तियों की सूची में से किसी एक व्यक्ति को भी कुलाध्यक्ष स्वीकृत नहीं करते है तो नई सिफारिश भेजनी होगी।

(2) समिति नियम (1) के अनुसार, तीन व्यक्तियों पर आधारित हो, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी संस्थान का कर्मचारी अथवा कार्यकारी परिषद व शैक्षणिक परिषद का सदस्य अथवा विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी न हो। तीन व्यक्तियों में से दो को कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत किया जाएगा तथा एक व्यक्ति को कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा जो समिति का संयोजक होगा।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(4)* कुलपति का कार्यकाल नियुक्ति के समय से पाँच वर्ष का होगा तथा कालावधि समाप्ति के पश्चात दूसरी बार पुनःनियुक्त किए जा सकते है।

---

* दिनांक. 17 दिसंबर, 2008 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-3/2008डेस्क (यू)

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष किसी भी कुलपति को कालावधि समाप्त होने के बाद कुछ समय तक अपने पद पर बने रहने के आदेश दे सकते हैं, लेकिन वह समय एक वर्ष से अधिक न हो अथवा कोई दूसरा व्यक्ति उस पद पर नियुक्त होने तक, जो भी पहले हो।

(5)* यद्यपि नियम (4) में यह शामिल है कि एक व्यक्ति जो कुलपति नियुक्त किया गया है, यदि वह अपने कार्याकाल के दौरान सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करते है तो वह सेवानिवृत्त होंगे।

(6) कुलपति की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवा शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

(i) कुलपति को केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे :

यदि वह पेंशनी पद से सेवानिवृत्त होकर पद ग्रहण करते है, तो उनके वेतन एवं भत्ते उनकी सकल पेंशन राशि से कम किए जाएंगे अथवा पेंशन का भुगतान पद का त्याग करने तक स्थगन किया जाएगा ;

परन्तु कि अगर वह किसी गैर-पेंशनी पद से सेवानिवृत्ति होने के बाद पद ग्रहण करते है , तो उनके वेतन और भत्ते उनके सकल पेंशन लाभ के समान राशि के कम किए जाएंगे जो वे सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त कर सकते है ;

परन्तु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन योजना का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी योजना में आवश्यक अभिदाय करेगा।

(ii) कुलपति ऐसी दरों से जो कार्यकारी परिषद द्वारा नियत की जाएं, यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

(iii) कुलपति किसी कलैंडर वर्ष में तीस (30) दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पन्द्रह दिन की दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी :

परन्तु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या छोडता है तो अनुपाततः सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए अढ़ाई दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जाएगा।

(iv) कुलपति उप-नियम(iii) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस(20) दिन की दर से अर्धवेतन छुट्टी की भी हकदार होगा और इस अर्धवेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा। परन्तु जब ऐसी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तो अर्धवेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा बाकी अर्धवेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी।

(v) कुलपति को सेवांत हितलाभ एवं कुलाध्यक्ष की अनुमोदन से कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित भत्ते भी समय समय पर दिए जाएंगे।

---

* दिनांक 11 मई, 2007, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-6/2007-डेस्क-यू

(7) मृत्यु ,त्यागपत्र या अन्यथा, या अस्वस्थता के कारण कार्य न कर पाने या अन्य किसी कारण से कुलपति कार्यालय रिक्त हो जाता है तो सम-कुलपति , कुलपति के पद का कर्तव्य निर्वाह करेंगे।

यदि सम-कुलपति नहीं है तो नए कुलपति की नियुक्ति एवं उनके पदभार संभालने तक कुलपति का पदभार किसी वरिष्ठ प्रोफेसर द्वारा संभाला जाएगा।

कुलपति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व

3.(1) कुलपति कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद एवं वित्तीय समिति का *पदेन* अध्यक्ष होंगे तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी अथवा अन्य इकाई द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित होंगे, लेकिन जब तक कि वह उस प्राधिकारी या इकाई के सदस्य न हो, उन्हें मताधिकार नहीं होगा।

(3) कुलपति का कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि, अध्यादेश और नियमों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं इसका ध्यान रखें तथा उसे अनिवार्य बनाने के लिए उन्हें इस संबंध में सभी अधिकार होंगे।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय मामलों पर नियंत्रण रखेंगे और इसके लिए संबंधित प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए कार्य करेंगे।

(5) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलपति को सभी आवश्यक अधिकार प्राप्त होंगे और वह इस कार्य के लिए किसी उचित व्यक्ति को अधिकार दे सकते है।

(6) कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद तथा वित्तीय समिति की बैठक बुलाने तथा आयोजित करने के अधिकार भी कुलपति को प्राप्त होंगे।

सम-कुलपति

4.(1) सम-कुलपति की नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी :

कुलपति की सिफारिश यदि कार्यकारी परिषद को मान्य नहीं हो तो इस मामले को कुलाध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा, कुलाध्यक्ष या तो कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को नियुक्त कर सकते है, अथवा कुलपति को यह कह सकते हैं कि वह कार्यकारी परिषद से दूसरे व्यक्ति की सिफारिश करे :

कार्यकारी परिषद कुलपति की सिफारिश पर किसी प्रोफेसर को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकते है, जो अपने प्रोफेसर के कर्तव्यों के अलावा इस पद के कर्तव्यों का भी निर्वाह करेंगे।

(2) सम-कुलपति की कार्यावधि कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारण के अनुसार होगा, लेकिन वह पाँच वर्षों से अधिक नहीं होगी अथवा कुलपति की कार्यावधि के समाप्त होने तक होगी, जो भी पहले हो :

सम-कुलपति अपनी कार्यावधि समाप्त होने के बाद पुनःनियुक्त किए जाने के पात्र है :

सम-कुलपति पैंसठ (65) वर्ष की आयु में किसी भी स्थिति में सेवानिवृत्त होंगे।

(3) सम-कुलपति की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवा शर्तें कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

(4) कुलपति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मामलों में सम-कुलपति उनका सहयोग करेंगे और कुलपति द्वारा जिन कार्यों के लिए कहा जाए उनका निर्वाह सम-कुलपति द्वारा किया जाएगा।

कुलसचिव

5.(1) कुलसचिव संबंधित चयन समिति की सिफारिशों के बाद कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) वह पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे तथा पुनःनियुक्त के लिए पात्र होंगे।

*(3) कुलसचिव की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवा शर्तें कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त हो या जब कुलसचिव अस्वस्थ या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित हो, तब कुलसचिव के कर्तव्य और कार्य उस व्यक्ति के द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5)(क) कुलसचिव शिक्षक एवं शैक्षणिक संकाय को छोड़कर कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार रखते हैं, अध्यादेश के अनुसार, उन्हें लंबित जाँच तक निलंबित कर सकते हैं, प्रशासनिक कार्रवाई की धमकी दे सकते हैं अथवा वेतन वृद्धि रोक कर जुर्माना लगा सकते है।

संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि उसे कारण बताओ नोटिस के उत्तर देने के लिए उचित अवसर न दिया जाए।

(ख) कुलसचिव द्वारा उप-नियम(ए) के अंतर्गत वर्गीकृत जारी आदेश या किसी विशेष प्रकार के जुर्माने के विरुद्ध कुलपति से अपील की जाएगी।

(ग) यदि जाँच में यह पाया गया कि सज़ा कुलसचिव के अधिकारों में नहीं है, तो कुलसचिव अपनी जाँच के अंत में अपने सिफारिशों पर आधारित रिपोर्ट कुलपति को सौंप देंगे।

कुलपति द्वारा लगाए गए जुर्माने के विरुद्ध कार्यकारी परिषद के समक्ष अपील करने का प्रावधान भी रहेगा।

(6) कुलसचिव कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद एवं अध्ययन बोर्ड के *एदेन* सचिव होगा, किन्तु इनमें से किसी भी प्राधिकरण का सदस्य नहीं माना जाएगा तथा वह कोर्ट का सदस्य सचिव होगा।

---

*दिनांक 13 अक्टूबर 2006 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-3/2006डेस्क (यू)

(7) कुलसचिव के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) विश्वविद्यालय के रिकार्ड, सामान्य मुहर तथा ऐसी अन्य संपत्ति का संरक्षक होगा, जो कार्यकारी परिषद उसके प्रभार के सुपुर्द करे ;

(ख) कोर्ट, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, अध्ययन बोर्ड एवं उन प्राधिकरणों द्वारा गठित समितियों की बैठकें बुलाने की सूचना(नोटिस) जारी करेंगे ;

(ग) कोर्ट, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, अध्ययन बोर्ड एवं उन प्राधिकरणों द्वारा गठित समितियों की सभी बैठकों का कार्यवृत्त रखेंगे ;

(घ) कार्यकारी परिषद तथा शैक्षणिक परिषद की ओर से पत्राचार करना ;

(ङ) अध्यादेश के मानकों के अनुसार, परीक्षाओं को संचालित करने के लिए इंतज़ाम करना तथा उनका पर्यवेक्षण करना ;

(च) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों के कार्यसूची की प्रतियां एवं बैठकों के कार्यवृत्त भी अति शीघ्र कुलाध्यक्ष को उपलब्ध कराएंगे और ;

(छ) विश्वविद्यालय के विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवचन करना या इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त करना ;

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करना जो संविधि, अध्यादेश या नियमों अथवा कार्यकारी परिषद में विनिर्दिष्ट किए जाएं या कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

वित्त अधिकारी

6.(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति इस उद्देश्य से गठित चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार, कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) वह पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाएंगे तथा उनको पुनःनियुक्त किया जा सकेगा।

*(3) वित्त अधिकारी की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवा शर्तें कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा :

(4) वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो या जब वित्त अधिकारी अस्वस्थ या किसी अन्य कारण से अनुपस्थिति हो, तब वित्त अधिकारी के कर्तव्य एवं कार्य उस व्यक्ति के द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी वित्त समिति के *पदेन* सचिव होगा, किन्तु वह इस समिति का सदस्य नही माना जाएगा।

---

*दिनांक 13अक्टूबर 2006 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-3/2006डेस्क (यू)

(6) वित्त अधिकारी द्वारा निम्न कार्य किए जाएंगे :-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों पर सामान्य निरीक्षण रखना एवं उसकी नीतियों से संबंधित सलाह देंगे ; तथा

(ख) कार्यकारी परिषद के निर्देशानुसार अथवा संविधि, अध्यादेश या नियमों के अनुसार वित्त से संबंधित कार्यभार देखेंगे।

(7) कार्यकारी परिषद के नियंत्रण के अध्यधीन, वित्त अधिकारी :-

(क) न्यास एवं धर्मस्व परिसंपत्तियों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के निवेश एवं परिसंपत्तियों का प्रबंधन संभालेंगे ;

(ख) सुनिश्चित करना कि कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित सीमा में एक वर्ष के लिए आवर्ति एवं गैर आवर्ति व्यय अधिक न हो, तथा सारी राशि संबंधित उद्देश्य के लिए खर्च करें जिसके लिए उन्हें स्वीकृत या आवंटित किया गया हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा एवं बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा उन्हें कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत करना ;

(घ) नकद एवं बैंक जमा तथा निवेश पर कड़ी नज़र रखना ;

(ङ) राजस्व प्राप्ति की प्रगति पर नज़र रखना तथा राजस्व प्राप्ति के नियमों पर सुझाव देना ;

(च) भवन, भूमि, फर्नीचर एवं उपकरण के रजिस्टर सुनिश्चित बनाना तथा समय-समय पर उनका रखरखाव, कार्यालयों, विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं एवं विश्वविद्यालय द्वारा संस्थानों के उपकरण वस्तुओं के भंडारण की जांच करना ;

(छ) अवैध व्यय एवं वित्तीय अनियमितता की जानकारी कुलपति को देना तथा दोषी व्युक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का सुझाव देना ; तथा

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला एवं संस्थान की माँग की सूचना रखना तथा आवश्यकतानुसार वापस सूचित कर अपना दायित्व निभाना।

(8) वित्त अधिकारी या कार्यकारी परिषद द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय के भुगतान के लिए दी गई रसीद उक्त रुपयों हेतु पर्याप्त भुगतान करना।

अध्ययन बोर्डों के संकायाध्यक्ष

7. (1)* प्रत्येक अध्ययन बोर्ड के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा संबंधित संकाय के प्रोफेसरों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, वह पुनःनियुक्ति के योग्य होगा।

---

*दिनांक 03नवंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-1/2008 डेस्क(यू)

बशर्ते कि संकायाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु होने पर वह इस पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

बशर्ते कि जब कभी संकाय के लिए संकायाध्यक्ष नहीं होगा तो कुलपति,सम-कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत संकायाध्यक्ष संकाय के संकायाध्यक्ष का उत्तरदायित्व संभालेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब संकायाध्यक्ष अस्वस्थ या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित हो, तब संकायाध्यक्ष के कर्तव्य और कार्य उस व्यक्ति के द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(3) संकायाध्यक्ष संकाय के अध्यक्ष होंगे और वे संकाय में शिक्षण एवं अनुसंधान के मानकों के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे तथा अध्यादेश के अनुसार बताये गए कार्यों का निर्वाह करेंगे।

(4) संकायाध्यक्ष को संकाय के अध्ययन बोर्ड एवं समितियों की बैठकों में भाग लेने तथा अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक कि वह उस समिति का सदस्य नहीं होगा, उसे मताधिकारी नही होगा।

विभागाध्यक्ष

8. (1) यदि किसी विभाग में एक अधिक प्रोफेसर है, तो कार्यकारी परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिशों के अनुसार उन प्रोफेसरों में से एक को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

(2) यदि विभाग में एक ही प्रोफेसर होगा, तो कार्यकारी परिषद के सामने यह विकल्प होगा कि वह कुलपति की सिफारिश के अनुसार प्रोफेसर अथवा रीडर को विभागाध्यक्ष नियुक्त करें।

बशर्ते कि प्रोफेसर या रीडर के सामने यह विकल्प खुला होगा कि वह विभागाध्यक्ष के पद को अस्वीकार करे।

(3) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी तथा वह पुनःनियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा ;

(4) विभागाध्यक्ष अपनी कार्यकाल अवधि के दौरान किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है।

(5) विभागाध्यक्ष अध्यादेश द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे।

कुलानुशासक

9. (1) कार्यकारी परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिशों के आधार पर कुलानुशासक नियुक्त किया जाएगा तथा कुलपति द्वारा समय-समय पर बताये गये कार्यों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

(2) कुलानुशासक का कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा वह पुनःनियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष

10. (1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति इस उद्देश्य से गठित चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार, कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष को कुछ अधिकार होंगे, जिनका निर्वाह उनको करना होगा और कार्यकारी परिषद द्वारा उनके पारिश्रमिक एवं अन्य सेवा शर्तें कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी।

कोर्ट

11. कोर्ट की बैठक के लिए कोर्ट के दस सदस्यों का कोरम(गणपूर्ति) होगा।

कार्यकारी परिषद

12. कार्यकारी परिषद की बैठक के लिए कार्यकारी परिषद के पांच सदस्यों का कोरम(गणपूर्ति) होगा।

कार्यकारी परिषद के अधिकार एवं कार्य

13.(1) कार्यकारी परिषद को विश्वविद्यालय के प्रबंधन और राजस्व तथा परिसंपत्ति के प्रशासन एवं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मामलों का अधिकार होगा, जो उसे प्रदान किया गया है।

(2) अधिनियम, संविधि एवं अध्यादेश के प्रावधानों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यकारी परिषद को जो अधिकार दिये गये हैं, उसके अतिरिक्त निम्न प्रकार के अधिकार विशेषतः उपलब्ध होंगे :-

(i) अध्यापन एवं शैक्षणिक पदों का सृजन उनकी संख्या और परिलब्धियाँ का निर्धारण प्रोफेसरों, रीडरों, प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक संकाय एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्थाओं के प्राचार्यों के कार्य और सेवा शर्तों का निर्धारण करना :

शिक्षकों एवं शैक्षणिक संकाय की संख्या, उनकी अर्हता एवं पारिश्रमिक से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्रवाई कार्यकारी परिषद उस समय तक नहीं करेगी, जब तक कि शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अन्यथा ;

(ii) प्रोफेसरों, रीडर, प्राध्यापकों(लेक्चरर) एवं अन्य शैक्षणिक संकाय तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्थाओं के प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए और अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए उस उद्देश्य हेतु गठित चयन समितियों की सिफारिशें अनिवार्य होंगी ;

(iii) अध्यादेश में निर्धारित नियमों के अनुसार प्रशासनिक एवं विभागीय कर्मियों के पदों का सृजन करना एवं उन पर नियुक्ति करना ;

(iv) विश्वविद्यालय किसी अधिकारी की अनुपस्थिति में कुलाधिपति एवं कुलपति के अलावा अवकाश प्रदान करना और उनकी अनुपस्थिति के दौरान अन्य प्रबंध करना ;

(v) संविधि एवं अध्यादेश के अनुसार कर्मचारियों को नियमों के प्रति प्रतिबद्ध एवं अनुशासन का आचरण कराना ;

(vi) वित्त, लेखा, निवेश, संपत्ति, व्यापार एवं विश्वविद्यालय के अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन, और इस उद्देश्य के लिए कुछ एजेन्टों की नियुक्ति करना यदि वे इस कार्य के लिए उचित हों तो ;

(vii) वित्त समिति की सिफारिश के अनुसार, वर्ष के लिए कुल आवर्ती एवं गैर-आवर्ती व्यय की सीमा निर्धारित करना;

(viii) अनुप्रयुक्त आय, उस जैसे स्टॉक, निधियाँ, शेयर या प्रतिभूति के अंशों सहित विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति के निवेश, समय-समय पर योग्य अवसर देखकर भारत में अचल संपत्ति का क्रय, इस तरह समय-समय पर निवेश के अधिकार ;

(ix) विश्वविद्यालय की ओर से चल एवं अचल संपत्तियों का हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण स्वीकार करना;

(x) विश्वविद्यालय के कार्य को जारी रखने के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर, उपकरणों एवं अन्य आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना ;

(xi) विश्वविद्यालय की तरफ से समझौते करना तथा आवश्यकता पड़ने पर रद्द करना ;

(xii) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की समस्याओं को समझना, उन्हें न्याय दिलाने का प्रयत्न करना तथा वे यदि किसी कारण पीड़ित हैं तो उनकी शिकायतों का समाधान करना ;

(xiii) शैक्षणिक परिषद के परामर्श से परीक्षकों एवं संचालकों की नियुक्ति तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हटाना और उनका शुल्क, पारिश्रमिक एवं यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते तय करना ;

(xiv) विश्वविद्यालय के लिए सर्वमान्य मोहर का चयन करना तथा उसके प्रयोग के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराना;

(xv) महिला छात्राओं के लिए आवश्यक आवास एवं अनुशासन हेतु विशेष प्रबंध करना ;

(xvi) कुलपति, सम-कुलपति, संकायाध्यक्ष, कुलसचिव या वित्त अधिकारी या विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी या बनाई गई समिति को अधिकार प्रदान करना ;

(xvii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक एवं पुरस्कार स्थापित करना ;

(xviii) लेखकों को विशेष रूप से आमंत्रित करना एवं इसके लिए आवश्यक नियम व शर्तें बनाना ;

(xix) अतिथि प्रोफेसरों, एमिरेटस प्रोफेसरों, सलाहकारों, विद्वानों को नियुक्ति करने तथा उसके लिए आवश्यक नियम व शर्तें बनाना ; तथा

(xx) अधिनियम एवं संविधि के अनुसार दिए गए अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वाह करना।

शैक्षणिक परिषद

***14.** (1). शैक्षणिक परिषद निम्न सदस्यों पर आधारित होगी :

i. कुलपति
ii. सम-कुलपति
iii. अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्ष
iv. निदेशालयों के निदेशक
v. शैक्षणिक विभागों के अध्यक्ष
vi. सभी प्रोफेसर (उनको छोड़कर जो अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्ष तथा विभागों के प्रमुख)
vii. एक रीडर जो विभाग प्रमुख नहीं है, वरिष्ठता के क्रमानुसार कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
viii. रीडर के समान एक शैक्षणिक संकाय वरिष्ठता के क्रमानुसार कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
ix. एक व्याख्याता वरिष्ठता के क्रमानुसार कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
x. व्याख्याता की श्रेणी का एक शैक्षणिक संकाय सदस्य वरिष्ठता के क्रमानुसार कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
xi. पुस्तकालयाध्यक्ष
xii. छह व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में सेवारत नहीं हैं, शैक्षणिक परिषद द्वारा शिक्षा में विशेष ज्ञान और शैक्षणिक प्रगति के लिए सहयोजित किया जाएगा।

(2) पदेन सदस्यों के अलावा शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(3) शैक्षणिक परिषद की बैठक के लिए कोरम(गणपूर्ति) शैक्षणिक परिषद के दस सदस्यों से होगी।

शैक्षणिक परिषद के अधिकार एवं कार्य

15. अधिनियम, संविधि और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शैक्षणिक परिषद को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :-

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और शिक्षण की पद्धतियों से संबंधित मार्गदर्शन करना, संस्थानों में शैक्षणिक समन्वय करने तथा अनुसंधान के मूल्यांकन और शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना ;

(ख) अन्तरसंकाय समन्वय स्थापित करना और बढ़ाना तथा ऐसी समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना, जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएं ;

---

*दिनांक 07 मार्च 2005 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-5/2004-डेस्क-(यू)

(ग) सामान्य शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी संकाय या कार्यकारी परिषद द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना ;

(घ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन,छात्रावास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और छात्रवृत्ति,फीस, रियायतों, सामूहिक जीवन और उपस्थिति(हाजिरी) के संबंध में संविधि तथा अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम एवं नियम विरचित करना।

अध्ययन संकाय एवं विभाग

16.(1) विश्वविद्यालय में उतने अध्ययन संकाय होंगे, जितने संविधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) प्रत्येक संकाय का एक संकाय बोर्ड होगा और प्रथम संकाय बोर्ड के सदस्य, कार्यकारी परिषद द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किए जाएंगे।

(3) संकाय बोर्ड की शक्तियां एवं उसके कार्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) संकाय बोर्ड की बैठकों का संचालन और ऐसी बैठकों के लिए अपेक्षित कोरम(गणपूर्ति) अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(5) (क) प्रत्येक संकाय में उतने विभाग होंगे जितने अध्यादेशों द्वारा उनमें रखे जाएं :

परन्तु कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगी, जिनमें विश्वविद्यालयों के उतने शिक्षक लगाए जाएं, जितने कार्यकारी परिषद आवश्यक समझे।

(ख) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

i) विभाग के शिक्षक ;

ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति;

iii) संकाय के संकायाध्यक्ष;

iv) विभाग से जुड़े मानद प्रोफेसर, यदि कोई हों; और

v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार विभाग के सदस्य हों।

अध्ययन बोर्ड

17.(1) प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(3) शैक्षणिक परिषद के पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, अध्ययन बोर्ड के कार्य विभिन्न डिग्रियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान डिग्रियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबंधित संकाय बोर्ड को अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से, निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करना :-

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए, जिसमें अनुसंधान डिग्रियां नहीं हैं, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ; और

(ग) स्नातकोत्तर अध्यापन एवं अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय ;

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पश्चात तीन वर्ष के दौरान अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कार्यों का पालन विभाग द्वारा किया जाएगा।

वित्त समिति

18. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) कुलपति ;

(ii) सम-कुलपति ;

(iii) कार्यकारी परिषद द्वारा नामित तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक कार्यकारी परिषद का सदस्य हो ; और

(iv) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन व्यक्ति।

(2) वित्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति वित्त समिति के पांच सदस्यों से होगी।

(3) *पदेन* सदस्य को छोड़कर वित्त समिति के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) लेखा तथा व्यय के प्रस्तावों की जाँच करने के लिए वित्त समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन बार होगी।

(5) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्तावों की और उन मदों की, जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, विचार एवं टिप्पणियों के लिए वित्त समिति द्वारा जाँच की जानी चाहिए तथा उसके बाद कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और वित्तीय आकलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् अनुमोदन के लिए कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(7) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिनके अंतर्गत, उत्पादक कार्यो की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे)।

चयन समिति

19. (1) प्रोफेसर, रीडर,व्याख्याता, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थानों के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्यकारी परिषद को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, सम-कुलपति,कुलाध्यक्ष का एक नामित और उक्त सारणी के स्तंभ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे :

सारणी

1	2	
प्रोफेसर	i)	संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष
	ii)	विभागाध्यक्ष, यदि वह कोई प्रोफेसर है।
	iii)	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्यकारी परिषद द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश शैक्षणिक परिषद द्वारा उस विषय में, जिससे प्रोफेसर संबंधित होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
रीडर/व्याख्याता	i)	संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष
	ii)	संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष
	iii)	दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्यकारी परिषद द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश शैक्षणिक परिषद द्वारा उस विषय में जिससे रीडर या व्याख्याता संबंधित होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
कुलसचिव/वित्त अधिकारी	i)	कार्यकारी परिषद द्वारा नामित उसके दो सदस्य।
	ii)	कार्यकारी परिषद द्वारा नामित ऐसा एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
पुस्तकालयाध्यक्ष	i)	कार्यकारी परिषद द्वारा नामित ऐसा व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, जिसे पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो।
	ii)	कार्यकारी परिषद द्वारा नामित ऐसा एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थानों के प्राचार्य		तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से दो कार्यकारी परिषद द्वारा और एक शैक्षणिक परिषद द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामित किए जाएंगे जिसमें उस संस्थान द्वारा शिक्षा दी जा रही हो।

टिप्पण : 1. जब नियुक्ति किसी अन्तर-अनुशासनिक परियोजना के लिए की जा रही हो तब परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष समझा जाएगा।

2. कुलपति द्वारा नामित किया जाने वाला प्रोफेसर उस विशिष्ट विषय से संबंधित प्रोफेसर होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, किसी प्रोफेसर को नामित करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और संकाय के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेंगे।

3. कुलपति या उनकी अनुपस्थिति में, सम-कुलपति चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे :

परन्तु चयन समिति की बैठक उप-नियम(2) के अंतर्गत कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तथा कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विशेषज्ञों के पूर्व परामर्श के पश्चात और उनकी सुविधा के अनुसार नियत की जाएगी :

परन्तु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक वैध नहीं होंगी, जब तक -

(क) जहां कुलाध्यक्ष के नामित और कार्यकारी परिषद द्वारा नामित व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहां उनमें से कम से कम तीन बैठक में उपस्थित हों ; और

(ख) जहां कुलाध्यक्ष के नामित और कार्यकारी परिषद द्वारा नामित व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो बैठक में उपस्थित हों

(4) कुलपति अथवा उनकी अनुपस्थिति में सम-कुलपति चयन समिति की बैठक बुलाएंगे।

(5) चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।

(6) यदि कार्यकारी परिषद, चयन समिति द्वारा दी गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्तियाँ निम्न मानकों के आधार पर किये जाएंगे :-

i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो उसे पूर्वगामी नियमों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरा जाएगा :

परन्तु यदि कुलपति कार्य के हित में संतुष्ट है, तो उस रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उप-नियम(ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति की सलाह से केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अधिक नहीं होगी।

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति, जिसमें संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष तथा कुलपति का एक नामित होगा, की सिफारिश पर की जाएगी :

परन्तु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामित हो सकेंगे :

परन्तु यह और कि अध्यापन पदों में मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में, संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा।

(iii) यदि संविधि के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी शिक्षक की सिफारिश, नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह तब तक ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं बना रहेगा जब तक कि, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा तत्पश्चात् उसका चयन नहीं कर लिया जाता।

नियुक्ति का विशेष ढंग

20.(1) संविधि 19 में किसी बात के होते हुए भी, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक उच्च श्रेष्ठता उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, प्रोफेसर, रीडर अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी :

(2) कार्यकारी परिषद, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगी।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति

21. कार्यकारी परिषद, संविधि 19 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

समितियाँ

22.(1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण, उतनी स्थायी या विशेष समितियाँ नियुक्त कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो उस प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

(2) उप-नियम(1) के अधीन नियुक्त समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए, किन्तु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा बाद में पुष्टि के अधीन होगी।

शिक्षकों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता, आदि -

***23.** (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, सेवा के नियम एवं शर्तों द्वारा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट आचार संहिता द्वारा शासित होंगे जैसा कि उसे समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और जैसा कि विश्वविद्यालय की संविधि, अध्यादेश एवं नियमों में उल्लेख किया गया है।

(2) विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक एवं शैक्षणिक संकाय सदस्य को लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्रारूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) उप-नियम(2) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

(4)** 15.03.2007 को स्वीकृत पदों के अंतर्गत शैक्षणिक पदों पर कार्यरत सभी व्यक्ति एवं नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी और उसके बाद सेवा में किसी प्रकार का विस्तार नहीं होगा। हालांकि, विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त शिक्षकों को 70 वर्ष की आयु तक पुनःनियुक्त कर सकता है।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता

24. शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में संविधि, अध्यादेशों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

वरिष्ठता सूची

25.(1) जब कभी, संविधि के अनुसार, किसी व्यक्ति को वरिष्ठता के अनुसार क्रमानुसार से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसे किसी प्राधिकरण का सदस्य होना है, तो उस वरिष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धान्तों के अनुसार होगा, जो कार्यकारी परिषद समय-समय पर, विहित करे।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन संविधि के प्रावधान लागू होते है उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन वरिष्ठता सूची उप-नियम(1) के प्रावधान के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव, स्वप्रेरण से वह मामला कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला कार्यकारी को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

---

*दिनांक 13 अक्टूबर 2006 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-3/2006-डेस्क-(यू)

** दिनांक 12 जून 2007 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-5/2007-डेस्क-(यू)

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हटाया जाना

26. (1) जहाँ विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहाँ शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी(जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और कार्यकारी परिषद को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें वह आदेश किया गया था :

परन्तु यदि कार्यकारी परिषद् की यह राय है कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहरण कर सकेगी।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा की शर्तों में किसी बात के होते हुए भी,शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सम्बंध में कार्यकारी परिषद को और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय किया गया हो, अन्यथा नहीं।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को उप-नियम(2) या उप-नियम(3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है :

परन्तु जहाँ कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहाँ उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) संविधि के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी त्याग दे सकते है :-

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् पद त्याग सकेगा :

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं हैं तो, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास के वेतन के संदाय के पश्चात् पद त्याग सकेगा :

परन्तु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

मानद उपाधियाँ

27.(1) कार्यकारी परिषद् तथा शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से मानद उपाधियाँ प्रदान करने का प्रस्ताव कर सकेगी :

परन्तु आपात की दशा में, कार्यकारी परिषद, स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्ताव कर सकेगी।

(2) कार्यकारी परिषद् उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि को वापस ले सकती है।

उपाधियों , आदि का वापस लिया जाना

28. कार्यकारी परिषद् उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी:

परन्तु इस आशय का कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह कारण बताओं नोटिस लिखित सूचना न दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाना चाहिए और जब तक कार्यकारी परिषद द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार नहीं कर लिया जाता है।

विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना

29.(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन बनाए रखने और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

(2) कुलपति द्वारा निर्दिष्ट सभी शक्तियाँ या उनमे से कोई, जो वह ठीक समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी संस्थान अथवा विभाग में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे उतने जुर्माने का दंड दिया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा उसे विश्वविद्यालय , संस्थान या विभाग अथवा किसी संकाय द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रोक दिया जाए या रद्द कर दिया जाए।

(4) संस्थानों के प्रमुख, अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने संस्थानों, संकायों एवं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन संस्थानो, संकायों एवं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(5) कुलपति, तथा उप-नियम(4) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे और संस्थानों के प्रधानाचार्य, अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम भी बना सकेंगे जो उसमें कथित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

दीक्षांत समारोह

30. विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह उपाधियाँ प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में आयोजित किए जाएंगे जो अध्यादेश द्वारा विहित की जाएँ।

बैठकों का कार्यकारी अध्यक्ष

31. जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष का प्रावधान नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया है वह अनुपस्थित है, तो उपस्थित सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे।

त्यागपत्र

32. कोर्ट, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही पदत्याग प्रभावी हो जाएगा।

अयोग्यता

33. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य चुने जाने और सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा :-

(i) यदि वह विकृत्तचित है ;

(ii) यदि वह दिवालिया है ;

(iii) यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक कार्य में लिप्त अपराधी करार दिया जाए और उसकी बाबत छह मास से कम के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठका है कि क्या कोई व्यक्ति उप-नियम(1) में वर्णित अयोग्यता में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न निर्णय के लिए कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

सदस्यता एवं कार्यालय के लिए निवास की शर्तें

34. संविधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का सामान्य निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकरणों की सदस्यता

35. संविधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के अपने सामर्थ्य में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, ऐसा पद केवल तब तक धारण करेगा या सदस्य तब तक ही बना रहेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे

36. (1) धारा 27 की उप-धारा(2) के अधीन बनाए प्रथम अध्यादेश, कार्यकारी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे।

(2) इस अधिनियम का धारा 27 की उप-धारा(1) में प्रगणित मामलों के संबंध में कार्यकारी परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेशों का प्रारूप शैक्षणिक परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) कार्यकारी परिषद को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह शैक्षणिक परिषद् द्वारा उप-नियम(2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या शैक्षणिक परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को उन किन्हीं संशोधनों सहित जिनका सुझाव कार्यकारी परिषद् दे, वापस भेज सकेगी।

(4) जहाँ कार्यकारी परिषद ने शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है, वहाँ शैक्षणिक परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में, जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुनःअभिपुष्ट कर दिया जाता है, तब प्रारूप कार्यकारी परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा, जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(5) कार्यकारी परिषद द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरन्त प्रभावी होगा।

(6) कार्यकारी परिषद द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह किसी अध्यादेश को चार सप्ताह की प्राप्ति के भीतर अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दें तथा कुलाध्यक्ष कार्यकारी परिषद को अध्यादेशों पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगी और विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात वह या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले सकेगी या अध्यादेश को नामंजूर कर सकेगी और उनका निर्णय अंतिम होगा।

विनियम

37. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम, संविधि और अध्यादेशों से संगत विनियम निम्नलिखित विषयों के बारे में बना सकेंगे, अर्थात् :-

i) उनके बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करना और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

ii) उन सभी वांछित विषयों को उपलब्ध कराया जाएगा जो इस अधिनियम, संविधि या अध्यादेशों द्वारा विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है ;

iii) ऐसे सभी अन्य विषयों को उपलब्ध कराना, जो केवल ऐसे प्राधिकरणों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हो और जिनके लिए इस अधिनियम, संविधि या अध्यादेशों द्वारा उपलब्ध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को बैठकों की तारीखों की और उन बैठकों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) कार्यकारी परिषद, इन संविधियों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

38. इस अधिनियम एवं संविधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपनी कोई शक्ति, अपने या उसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निहित बना रहेगा।

39. विश्वविद्यालय में वर्तमान में निम्नलिखित संकाय, विभाग एवं केन्द्र है :

अध्ययन संकाय :

1. भाषा, भाषा-विज्ञान एवं भारतीय विद्या संकाय[1]
2. वाणिज्य एवं व्यापार प्रबंधन संकाय[1]
3. पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय[1]
4. कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय[2]
5. विज्ञान संकाय[2]
6. शिक्षा एवं प्रशिक्षण संकाय[2]

---

1. दिनांक 20.07.1999 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-7/98-डेस्क-(यू)
2. दिनांक 13.10.2006 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-4/2005-डेस्क-(यू)

विभाग :

1. उर्दू विभाग[1]
2. अंग्रेज़ी विभाग[1]
3. हिन्दी विभाग[1]
4. प्रबंधन[1] एवं वाणिज्य[3] विभाग
5. जनसंचार[1] एवं पत्रकारिता[3] विभाग
6. शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग[2]
7. अनुवाद विभाग[2]
8. महिला शिक्षा विभाग[2]
9. दूरस्थ शिक्षा विभाग[2]
10. राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग[3]
11. समाजशास्त्र एवं समाज सेवा विभाग[3]
12. कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग[3]
13. अरबी विभाग[5]
14. फ़ारसी विभाग[5]

निदेशालय :

1. महिला शिक्षा निदेशालय[1]
2. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय[1]

क्षेत्रीय केन्द्र :

1. क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली[1]
2. क्षेत्रीय केन्द्र, पटना[1]
3. क्षेत्रीय केन्द्र, बैंगलोर[1]
4. क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल[2]
5. क्षेत्रीय केन्द्र, दरभंगा[2]
6. क्षेत्रीय केन्द्र, श्रीनगर[3]
7. क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई[3]
8. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता[3]
9. क्षेत्रीय केन्द्र, रांची[4]

---

1. दिनांक 20.07.1999 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-7/98 डेस्क-(यू)
2. दिनांक 07.11.2005 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-4/2005-डेस्क-(यू)
3. दिनांक 13.10.2006 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-4/2005-डेस्क-(यू)
4. दिनांक 05.09.2007 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-4/2005-डेस्क-(यू)
5. दिनांक 12.11.2007 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-4/2005-डेस्क-(यू)

40*. संविधि 12 में संशोधन :

(1) कार्यकारी परिषद में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :

(i) कुलपति

(ii) सम-कुलपति

(iii) अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्षों में से चार सदस्य वरिष्ठता के आधार पर, क्रमानुसार कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(iv) एक प्रोफेसर जो डीन न हो, वरिष्ठता के आधार पर, कुलपति द्वारा क्रमानुसार नियुक्त किए जाएंगे।

(v) एक रीडर वरिष्ठता के आधार पर, कुलपति द्वारा क्रमानुसार नियुक्त किए जाएंगे।

(vi) एक व्याख्याता, वरिष्ठता के आधार पर, कुलपति द्वारा क्रमानुसार नियुक्त किए जाएंगे।

(vii) कोर्ट के दो सदस्य को, जो विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्थान के कर्मचारी या विद्यार्थी न हो, कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे।

(viii) शैक्षणिक एवं सार्वजनिक जीवन में उत्तम प्रदर्शन करने वाले चार लोगों को कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

(ix)** महिला तथा दूरस्थ शिक्षा के निदेशकों को कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2). कुलपति एवं सम-कुलपति को छोड़ सभी कार्यकारी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) कार्यकारी परिषद की बैठक के लिए कोरम(गणपूर्ति) कार्यकारी परिषद के पाँच सदस्यों से होगी।

(4) यदि कार्यकारी परिषद कोई सदस्य संसद(लोक/राज्य सभा) का सदस्य होकर केन्द्रीय मंत्रिमंडल में केन्द्रीय मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री या लोक सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या राज्य सभा के उप-सभापति बन जाते है तो विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की उनकी सदस्यता समाप्त समझी जाएगी।

---

* दिनांक 14.01.2002 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-8/2001-डेस्क-(यू)

** दिनांक 07.11.2005 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र सं.एफ.27-4/2005-डेस्क-(यू)